



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30543

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 462/2026

करण सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

माननीय राजस्व परिषद इलाहाबाद एवं 12 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: नंदिनी भारतीय, विवेक शुक्ला

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: आजाद राय, सी.एस.सी. (अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री टी.पी. गुप्ता और प्रत्यर्थी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री आजाद राय को सुना।
2. वर्तमान याचिका प्रत्यर्थी संख्या 1/राजस्व परिषद को निर्देशित करने हेतु परमादेश की मांग के लिए दायर की गई है कि वह द्वितीय अपील संख्या 1288/2025 (गुलाब कली बनाम गणेशी लाल व अन्य) को एक निश्चित अवधि के भीतर तय करे।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत वाद की कार्यवाही से उत्पन्न, गुलाब कली द्वारा दायर उपरोक्त द्वितीय अपील, जिसमें याचिकाकर्ता को विपक्षी संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया है, दिनांक 1.4.2025 से प्रत्यर्थी संख्या 1/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के समक्ष लंबित है। उन्होंने लंबित कार्यवाही की आदेश शीट की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की, जो यह प्रदर्शित करती है कि द्वितीय अपील अभी स्वीकार (एडमिट) नहीं की गई है, लेकिन विचारण न्यायालय / प्रथम अपीलीय न्यायालय के अभिलेख मंगवा लिए गए हैं।
4. मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना और तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 1/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त द्वितीय अपील को स्वीकार करने हेतु विचार करे और अपने समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार शीघ्रता से उचित आदेश पारित करे।
5. तदनुसार, रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



रमीज

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"